न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–158/2011

1. कैलाश सांगानेर] पुत्रान प्रभुनारायण, समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम भाटेड, तहसील

2. कन्हैयालाल जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्स–

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रूघा तथाकथित पुत्र शंकर जाति माली, निवासी ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र रूघा
3. गोपीराम पुत्र रूघा
4. नानूराम पुत्र रूघा
5. कल्याण पुत्र रूघा
6. लाली बेवा रूघा, जाति माली, निवासी ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर, जयपुर।
7. प्रभुनारायण पुत्र छोटू उर्फ छोटया
8. लादूराम पुत्र छोटू उर्फ छोटया

समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. उप–पंजीयक सांगाने द्वितीय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सतीश भाखर अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री भौरी लाल रेस्पोडेंटस की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 21–02–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर दिनांक 29.12.2010 वाद संख्या 96/2010 उनवानी लादूराम वगैरह बनाम लाली वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 07 व 08 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व विभाजन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्लगायत 6 की संयुक्त आराजी कृषि भूमि कुल किताा 63 कुल रकबा 13.17 हैक्टेयर वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है।उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 1 लगायत का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 6 का हिस्सा 1/3 खातेदारी दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

रिकार्ड है।वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मनबंट अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1366 व इसके लगवा अन्य नम्बरों पर मकान व पक्का निर्माण करना चाहते है जो कि विधिवत विभाजन किये बगैर अनुचित है। वादीगण द्वारा उक्त कथन कर वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 29–12–2010 द्वारा वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 की पैतृक भूमि अविभाजित, सहदायिकी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 512, 513, 514, 525, 526, 548, 562, 565, 571 लगायत 577, 589, 606, 510, 511, 519, 521, 528, 529, 530, 531, 559, 560, 507, 509, 517 कुल किता 32 कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित थी। उपर्युक्त वर्णित भूमि के हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 843, 844, 845, 861, 894, 895/1608, 897, 898/1667, 899, 900, 900/1609, 901, 902/1668, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 925, 1307, 1311, 1312, 1314, 1315, 1319, 1324/16851, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330/1669, 1332/1670, 1338, 1339, 1340, 1341, 1344 लगायत 1351,1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368/1659, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392 व 1393 कुल किता 63 रकबा 13.17 हैक्टै0 स्थित ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर है। अपीलान्ट के हिन्दू संयुक्त परिवार की वंशावली में अपीलान्टस के मोरूसीआला रामनाथ हुए, रामनाथ के तीन पुत्र क्रमशः रूघा, छोटया व शंकर हुए, जिनका देहान्त हो चुका है। रूघा पुत्र रामनाथ के पुत्रगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 तथा पत्नी प्रतिवादी संख्या 6 हुए। छोटया उर्फ छोटू पुत्र रामनाथ के पुत्रगण रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 लादूराम व प्रभुनारायण हुए। शंकर की पत्नि मूली देवी का शंकर के जीवनकाल नाऔलाद देहान्त हो गया।तत्पश्चात शंकर पुत्र रामनाथ का दूसरा विवाह धापा देवी से हुआ। धापा देवी ने शंकर के जीवन काल में ही देवीसहाय पुत्र श्री मांगी लाल जाति माली निवासी ग्राम नवोडी कोटी, चौंमू, तहसील चौंमू, जिला जयपुर से विवाह कर लिया। वादग्रस्त कृषि भूमि के हकपूर्वाधिकारियों अपीलान्टस के पितामह एवं रेस्पोडेंटस संख्या 7 व 8 के पिता छोटिया, रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति रूघा व शंकर पुत्र रामनाथ हिस्सा बराबर–बराबर के खातेदार एवं काश्तकारी की थी। शंकर की पत्नी भूली का शंकर के जीवनकाल में देहान्त होने के बावजूद भी शंकर की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 27.

06.1960 भूली बेवा शंकर के नाम गलत खोल दिया गया, जब कि शंकर की पत्नि भूलीदेवी की शंकर के जीवनकाल में ही मृत्यु हो चुकी थी तथा दूसरी पत्नी धापा जीवित थी, जिसने शंकर के जीवनकाल में ही पुर्नःविवाह कर लिया था। इसलिये स्व. शंकर के वैध वारिसान उसके सगे भाई छोटिया व रूघा थे। उक्त नामान्तरकरण अवैध एवं शुन्य होने के कारण प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी है। शंकर अथवा उनकी पत्नी भूली अथवा धापा ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत दादिया से मिलीभगत कर भूली के नाम हुए गलत इन्द्राज के आधार पर पर भूली को हाल मे नाते चले जाना एवं स्वयं को स्व. शंकर का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 11.04.1981 गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। कानूनन शंकर के नाऔलाद फौत हो जाने के फलस्वरूप तथा प्रथम श्रेणी का कोई वारिस ना होने की स्थिति में शंकर के हिस्सा 1/3 की सम्पति शंकर के सगे भाईयों छोटिया व रूघा को हिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 07 का हिस्सा 1/4 एवं रेस्पोडेंटस का हिस्सा 8 का हिस्सा 1/4 व रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 निहित हो गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि में अपने निहित हक की घोषणा व विभाजन करवाने हेतु उपर्युक्त करते हुए एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने मिलीभगत से वाद संख्या 96/2010 उनवानी लादूराम वगैरा बनाम लाली वगैरा प्रस्तुत कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपीलान्टस के अधिकार उक्त भूमि में निहित है तथा रेस्पोडेंटस द्वारा मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कराया गया जो कि अपीलान्ट के अधिकारों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है। अपीलान्टस द्वारा अपने अपील में लिये गये आधारों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर दिनांक 29.12.2010 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। वादीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 07 व 08 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.10.2010 को वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 की तलबी होने पर उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 09 व 10 की तलबी नहीं हुई तथा बिना सभी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण हुए वाद निर्णित व डिक्री फरमा दिया जो कि पूर्णतया अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार को जो कि लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है जिसकी तलबी नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में वाद संस्थित होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया किन्तु जवाब दावा प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो विवाद्याक बनाये गये और ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य अभिलिखित की गई। रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 द्वारा जवाब दावा में अंकित किया गया कि नानगराम पुत्र कल्याण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने नानगराम पुत्र कल्याण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया।अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान ने किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की लिखित सहमति प्रदान की। उसके बावजूद भी जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् विवाद्यक उत्पन्न होने के बावजूद भी किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 जो कि मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार के रूप में संयोजित था को शंकर पुत्र रामनाथ अथवा उनकी पत्नी द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया गया तथा ना ही किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को गोद पुत्र घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर बिना किसी साक्ष्य के वादग्रस्त भूमि के विभाजन का निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 धापा बेवा शंकर के नाते चले जाने के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। भूली शंकर के जीवनकाल में ही नाते चले जाने से वह सम्पति से निर्हित हो गई तथा शंकर की मृत्यु होने पर शंकर के वारिसों अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 लगायत 08 में निहित होती है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या ..../2011 उनवानी कैलाश वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा में रेस्पोडेंटस संख्या 01 लगायत 06 ने जवाब आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया है कि धापा शंकर की मृत्यु के पश्चात नाते गई तो ऐसी स्थिति में शंकर की सम्पति उत्तराधिकार में धापा को प्राप्त होती है। इन जटिल तथ्यों का स्पष्टीकरण एवं वादग्रस्त भूमि में हिस्सो का निर्धारण साक्ष्योपरान्त ही किया जा सकता है। रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 ने तथ्य छिपाकर माननीय न्यायालय से कपटपूर्वक डिक्री पारित करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2010 वाद संख्या 96/2010 उनवानी लादूराम वगैरा बनाम लाली वगैरा निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया।उपर्युक्त उनवानी वाद सख्या 96/2010 में अपीलान्ट पक्षकारान नहीं होने से इन्हेांने अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है।प्रार्थना-पत्र में अपीलान्ट्स द्वारा उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक होने से उनके हक अधिकार उक्त भूमि में निहित है तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया गया है। अपीलान्ट उक्त निर्णय से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है इसलिये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अधिनियम भी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11/03/2011 को हुई है उससे पूर्व जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस के द्वारा जवाब अपील एवं जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।उभयपक्ष द्वारा अपनी अपील मीमों एवं जवाब अपील को ही बहस माने जाने का कथन किया गया।

5–अपील मीमों, जवाब अपील एवम प्रार्थना–पत्र तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना–पत्र बाबत चाहे जाने इजाजत अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस के पितामह एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 07 व 8 के पिता छोटिया, रेस्पो0 नं0 01 लगायत 05 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 06 के पति रूघा एवं शंकर पुत्र रामनाथ के बराबर–बराबर के हिस्से की खातेदारी में स्थित थी शंकर पुत्र रामनाथ का देहान्त होने के फलस्वरूप उनका हिस्सा 1/3 अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 08 में निहित होता है इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सख्या 7 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थीगण सख्या 08 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा निहित है। अपीलान्टस प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि में अपने हक की घोषणा व विभाजन करवाने हेतु एक वाद अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 06 की ओर से जवाब आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 08 ने मिलीभगत से वादग्रस्त सख्या 96/2010 उनवानी लादू राम वगैराह बनाम लाली वगैराह प्रस्तुत प्रारम्भिक रूप से डिक्री करवा लिया गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण को उसमें अधिकार प्राप्त है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से वे गंभीर रूप से प्रभावित हुऐ है अतः उनका प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।रेस्पोडेन्टस अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में अस्वीकृती जाहिर की गई। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार स्व0 शंकर के दो विवाह हुए थे शंकर की प्रथम पत्नि भूली देवी के देहान्त के पश्चात उसका विवाह धापादेवी से हुआ। हिन्दू धर्म की प्रथा अनुसार धापा का नाम पूर्व पत्नि भूली देवी के नाम पर भूली ही रख दिया गया। शंकर के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से उन्होंने लक्ष्मीनारायण को गोद लिया तथा शंकर के देहान्त पश्चात फोती नामान्तकरण लक्ष्मीनारायण के नाबालिग होने के कारण अकेली भूली देवी के नाम खोला

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

गया।कालान्तरण में धापा ने दूसरा विवाह देवीसहाय से कर लिया।तब स्व0 शंकर एक मात्र वारिसान होने से उसके 1/3 हिस्से की भूमि का नामान्तरण रेस्पो0 नं0 1 लक्ष्मीनारायण के नाम खोला गया तथा उक्त हिस्से अनुसार ही वह काबिज काश्त चला आ रहा है। भूली उर्फ धापा के नाम से खोले गये नामानतकरण सख्या 21 में इन तथ्यों का स्पष्ट हवाला दिया गया है। अपीलान्टस के पिता प्रभुनारायण रेस्पो0 नं0 07 द्वारा दावा दायर इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि तथा कल्याण के पुत्र नानग राम के दावे में भी शपथपूर्वक दिये गये बयानों में अपीलान्ट के पिता ने शंकर के 1/3 हिस्से का खातेदार होना व उसके उपरान्त लक्ष्मीनारायण को खातेदार होना स्वीकार किया है।इस प्रकार शंकर के 1/3 हिस्से से अपीलान्टस का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।अपीलान्टस अपना हक अपने पिता के हिस्से में से ही प्राप्त कर सकते है जैसा कि नानग राम ने अपने पिता कल्याण के हिस्से में से प्राप्त किया है।इस प्रकार अपीलान्टस का प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं बनता है तथा रेस्पोडेन्टस को मात्र परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई है।अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की गई है कि वादग्रस्त भूमि के हक पूर्वाधिकारी स्व0 शंकर के कोई वारिस नहीं होने से उक्त भूमि छोटिया व रूघा के वारिसान को बराबर–बराबर हिस्से में प्राप्त हुई है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सख्या 07 व 08 द्वारा भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार जो दावा बाबत विभाजन प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री प्राप्त की है उसे वे व्यथित व पीडित है। अपीलान्टस रेस्पो0 नं0 07 के पुत्रगण है। इनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि में निहित अपने अधिकारों की घोषणा व विभाजन हेतु उन्होंने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा वाद में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर रेस्पो0 नं0 01 लगायत 06 की ओर से जवाब प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें ज्ञान हुआ है कि रेस्पो0 नं0 01 लगायत 08 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आपस में मिली भगत कर प्राप्त कर ली है।अपीलान्टस द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अथवा अपील के साथ इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कोई घोषणा का वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस रेस्पो0 सख्या 07 प्रभुनारायण के पुत्र है तथा प्रभुनारायण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी है जिसने राजस्व रिकार्ड में वर्णित खातेदारान के हिस्से को स्वीकार किया है।अपीलान्टस को वादग्रस्त भूमि में उनके हक अधिकार अपने पिता रेस्पो0 सख्या 07 के फुटस्टेप पर ही प्राप्त हो सकेगें जिसके लिये वे अलग से चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।चूंकि अपीलान्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि में अधिकारों की घोषणा किये जाने संबंधी कोई वाद लम्बित होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेदारों के मध्य विभाजन किये जाने के आशय की पारित की

गई है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से व्यथित अथवा पीडित नहीं है। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है तथा अपीलान्टस अपील प्रस्तुत करने के हकदार नही है।

6– अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है परिणामस्वरूप अपील भी इसी आधार पर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29–12–2010 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7– निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर